फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ जिला अजमेर

प्रार्थी:– सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ।

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रास्ता

दर्ज दिनांक 13/2/2025

प्रार्थना पत्र संख्या 29/2025

ऑनलाईन संख्या 2025/............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13/2/2025	तहसीलदार किशनगढ द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज–6 /2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में पत्रांक राजस्व/2025/372 दिनांक 24.01.2025 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने हेतु ग्राम पंचायत डीडवाडा पटवार मण्डल डीडवाडा तहसील भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बान्दरसिन्दरी में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन तक पहुंच मार्ग हेतु प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा संख्या 2326/2300 रकबा 5.0129 हैक्टैयर में से एक प्रचलित रास्ता है जिसका रकबा 0.0225 हैक्टैयर है, रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है एवं कदीमी है तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन डीडवाडा तक का पहुच मार्ग है। इस रास्ते की चौडाई 15 मीटर है,यह रास्ता उक्त खसरा नम्बर 2326/2300 में मौके पर चालू है लेकिन रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। रास्ते की चौडाई 15 मीटर है एवं प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता बारहमासी प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है और आमजन के आने ज़ाने हेतु उपलब्ध है। राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु हमारे समक्ष प्रस्तावित किया गया है। हमारे द्वारा पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के द्वारा अभिशंसित सलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज राजकीय भूमि खाता संख्या 01 में से प्रस्तावित रास्ते खसरा संख्या 2326/2300 कुल रकबा 05.0129 हैक्टेयर में से 0.0225 हैक्टेयर को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम पंचायत डीडवाडा पटवार मण्डल डीडवाडा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बान्दरसिन्दरी की भूमि खसरा नम्बर 2326/2300 रकबा 05.0129 हैक्टेयर में से 0.0225 हैक्टेयर, जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पूर्व खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट किशनगढ

क्रमांक/राजस्व/2025/29

दिनांक 13/2/25

– रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश–

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज–6/2003 / पार्ट जयपुर, दिनाक 10.08.2016 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 88 के अन्तर्गत ग्राम डीडवाडा –भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बान्दरसिंदरी पटवार मण्डल डीडवाडा तहसील किशनगढ में खसरा संख्या 2326/2300 में से रकबा 0.0225 हैक्टेयर, उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन डीडवाडा तक, का पहुच मार्ग का रास्ते का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा सलग्न निर्णयानुसार रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

कमांक/सम/–

दिनांक: 13/2/2025

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार
2. भू–अभिलेख निरीक्षक वृत
3. पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

आदेश की प्रति प्राप्त की